न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 अलवर

पीठासीन अधिकारी- धीरज शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थनापत्र सं. 86/2026
सी.आई.एस. नम्बर-272/2026

1. साहिल खान पुत्र जैकम खान उम्र 22 साल निवासी चन्द्रा का बास बुटोली थाना लक्ष्मणगढ हाल तुसार होटल के सामने, बुर्जा थाना सदर जिला अलवर।

.....प्रार्थी-अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक अलवर

....अप्रार्थी

जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-113/2026, पुलिस थाना सदर जिला, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 238(बी), 318(4), 316(2), 319(2), 336(3), 340(2) बी एन एस एवं धारा 66 सी, 66 डी आई टी एक्ट

उपस्थित:-

1. श्री मौहम्मद रहमुदीन, अधिवक्ता, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से।
2. श्री नवनीत तिवाडी, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आ दे श दिनांक 27.03.2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त साहिल खान की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से निस्तारित हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामचरण मीणा ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना सदर जिला अलवर में इस आशय की पेश की कि दिनांक 27.02.2026 को समय 10.36 पीएम पर वह मय जाप्ता कानि. हितेश, कानि. फूलसिंह मय सरकारी बोलेरो 112 मय चालक मय अनुसंधान बॉक्स के साईक्लोन सैल से 1930 की शिकायत मोबाईल नंबर 8290158403 की लोकेशन की तसदीक हेतु व ईलाका थाना गश्त व गुंडा बदमाशान चैकिंग हेतु वह मय हमराही जाप्ता के थाना हाजा से रवाना होकर ईलाका थाना भूगोर बुर्जा, केशरपुर गश्त करते हुए समय 11.48 पीएम पर लोकेशन के आधार पर जयसंमद बांध पर पहुंचे तो एक व्यक्ति छतरी के पास बैठा हुआ मोबाईल फोन को चलाता हुआ दिखाई दिया। उक्त शक्स सरकारी गाडी को देख कर भागने लगा। हमराही जाप्ते में से कानि. फूलसिंह द्वारा अपने निजी मोबाईल नं. 9079831853 से साईबर सैल से प्राप्त मोबाईल नं. 8290158403 पर घंटी दी गई, मोबाईल नम्बर की तस्दीक होने पर उक्त शक्स को हमराही जाप्ते की मदद से पकडकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम साहिल खान पुत्र जैकम खान उम्र 22 वर्ष निवासी चन्द्रा का बास बुटोली थाना लक्ष्मणगढ हाल तुसार होटल के सामने बुर्जा थाना सदर अलवर होना बताया। गवाह द्वारा पूछताछ में बताया कि वह लोगों को फर्जी USDT बेचने का झांसा देता है। लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, इसी प्रकार लोगों से वह ऑनलाईन ठगी का काम करीब करीब दो माह से कर रहा है। लोगों से उसने अब तक करीब बीस तीस हजार रूपये की ऑनलाईन ठगी कर चुका है.....इत्यादि।

03. उक्त रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/2026 अन्तर्गत धारा 238(बी), 318(4), 316(2), 319(2), 336(3), 340(2) बी एन एस एवं धारा 66 सी, 66 डी आई टी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 05.03.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता के तहत यह जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

04. प्रार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है।

05. उभय पक्षों की जमानत प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त की माता बीमार है, प्रार्थी-अभियुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त ने किसी के साथ कोई फ्राड या साईबर क्राईम नहीं किया,। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

06. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः उसका जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

07. उभय पक्षों को सुनकर केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा फेसबुक व इंस्ट्राग्राम पर फर्जी आई डी बनाकर USDT बेचने से संबंधित फर्जी विज्ञापन के फोटोज डालकर, लोगों को झांसे में लेकर उनसे अपने मोबीक्युक ऐप के क्यू आर कोड में रूपये डलवाये जाने का गंभीर आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से केस डायरी पर Complaint Type Report & Track भी पेश की गई है, जिसके अवलोकन से भी प्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने मोबाईल नं. 8290158403 की फर्जी आई डी बनाक पंजाब, महाराष्ट्रा के लोगों के साथ भी साईबर ठगी किया जाना प्रकट हुआ है। वर्तमान समय में समाज में इस प्रकार के साईबर फ्राड के अपराधों में लगातार वृद्वि हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।.

आ दे श

08. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त साहिल खान की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(धीरज शर्मा)

09. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरज शर्मा)